क्रम-संख्या-316

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11 / लाई०–
न्यूज पेपर / 91 / ... –06
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 19 नवम्बर, 2007

कार्तिक 28, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2364/79–वि–1–07-1(क)42-2007
लखनऊ, 19 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह एक जुलाई, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 125 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, कि धारा 125-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"125क (1) (क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध यह उसके अधीन बनाये गये नियम या सम्बन्धित समिति की उप विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी जहाँ ऐसी सहकारी चीनी मिल, जिसमें अधिकांश अंशपूँजी राज्य सरकार द्वारा धृत है और राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि न तो चीनी मिल सुव्यवस्थित व्यवसाय (साउण्ड विजनेस) कर पर रही है और न ही ऐसा करने की सम्भावना है, वहाँ वह ऐसी सहकारी चीनी मिल को किसी अन्य समिति, कम्पनी, फर्म या निकाय को अंतरित करने के लिये निबंधक को संस्तुत कर सकती है और राज्य सरकार की संस्तुति प्राप्त होने पर निबंधक, वित्त पोषक बैंक या वित्त पोषक संस्था, यदि कोई हो, जिसकी वह चीनी मिल ऋणी हो, से परामर्श करने के पश्चात् सम्बन्धित समिति को लिखित नोटिस द्वारा, जिसमें ऐसे विवरण उल्लिखित होंगे, जैसे विहित किये जायें और ऐसी अवधि के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, उसकी आस्तियों या उसकी आस्तियों और दायित्वों का पूर्णतः या अंशतः किसी अन्य समिति या कम्पनी या फर्म या निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों, जैसी विहित रीति से निर्धारित की जाय, को अन्तरण की अपेक्षा करेगा और ऐसे अन्तरण पर, चीनी मिल के लिये इस अधिनियम के अधीन बनायी गई समिति भंग हो जायेगी।"

(ख) यदि खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर समिति, निबन्धक द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो वह ऐसी समिति की कमेटी तथा उसके ऋणदाताओं को गजट में अधिसूचित आदेश द्वारा प्रत्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिये विहित रीति से अवसर प्रदान करने के पश्चात् खण्ड (क) में निर्दिष्ट रीति से समिति के पूर्णतः या अंशतः आस्तियों या आस्तियों और दायित्वों के अंतरण के लिये निदेश जारी करने सहित मामले में ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जैसी वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी मिल समितियों के मामले में, जहाँ राज्य सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक अंशपूँजी है वहाँ निबन्धक के लिये, उक्त खण्ड (क) एवं (ख) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही हेतु समिति के सामान्य निकाय से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य नहीं होगा।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार नियम बनाने, और निबन्धक को ऐसे निदेश, जैसे वह उचित समझे, देने के लिये सक्षम होगी।

**स्पष्टीकरण**:–इस धारा के प्रयोजन के लिये 'कम्पनी' का तात्पर्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित कम्पनी से है।

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संधोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश सख्या 21 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के विकास एवं विस्तार के लिये वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना की गयी थी। उक्त संघ के अधीन तत्समय कार्यरत अट्ठाइस सहकारी चीनी मिलों में से सात सहकारी चीनी मिलें पूर्णतः रुग्ण अवस्था में थी और शेष इक्कीस चीनी मिलें न तो सुव्यवस्थित व्यवसाय करने की अपेक्षाओं की पूर्ति कर पा रही थी और न ही उनके द्वारा सुव्यवस्थित व्यवसाय किये जाने की कोई सम्भावना थी। परिणामतः उनका घाटा वर्षानुवर्ष बढ़ता जा रहा था। यद्यपि ऐसी चीनी मिलों की आस्तियों या आस्तियों एवं दायित्वों के अन्तरण का प्रावधान उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 125-क के अधीन विद्यमान था किन्तु ऐसी चीनी मिलों की आस्तियों एवं दायित्वों के अन्तरण की प्रक्रिया जटिल और लम्बी थी जिसमें मुकदमा और समय के अपव्यय की सम्भावना थी। अतएव अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिश्चय किया गया कि किसी विनिदिष्ट समय के भीतर किसी समिति, कम्पनी फर्म या निकाय को उक्त चीनी मिलों की आस्तियों या आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण करने की व्यवस्था करने के लिये उक्त धारा को संशोधित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नही था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2007 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

---

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG–1

---

No. 2364/LXXIX–V–1–07-1(Ka)42-2007
*Dated Lucknow, November* 19, 2007

---

NOTIFICATION

**Miscellaneous**

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 16, 2007.

## THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2007

[U.P. ACT NO. 29 OF 2007]

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 1, 2007.

Amendment of section 125 of U.P. Act no. 11 of 1956

2. *For* section 25-A of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 hereinafter referred to as the Principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"125-A (1) (a) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act or the rules made thereunder or the bye-laws of the societies concerned or in any other law for the time being in force, where a Co-operative Sugar Mill in which Majority of shares are held by the State Government, and the State Government is satisfied that neither the Sugar Mill is being run as sound business nor there is any chance of it being run as sound business, it may recommend the Registrar to transfer such Co-operative Sugar Mill to any other society, company, firm or body and on the receipt of the recommendation of the State Government, the Registrar shall after consulting the financing Bank or Financing institution, if any, to which such sugar mill is indebted, call upon the committee concerned by notice in writing containing such particulars as may be prescribed and within such time as may be specified in the notice to transfer its assets or its assets and liabilities in whole or part, to any other society or a company or a firm or a body, whether incorporated or not, on such terms and conditions as may be formulated in the manner prescribed, and on such transfer the society formed for such sugar mill under this Act shall stand dissolved."

(b) If, within the time specified in the notice referred to in clause (a), the society fails to comply with the direction of the Registrar, he shall after giving an opportunity in the manner prescribed, the committee of such society and the creditors thereof to make their representation, if any, by order notified in the *Gazette*, take such action as he deems fit in the matter, including the issue of a direction to the society to transfer its assets or its assets and liabilities, in whole or in part in the manner referred to in clause (a) :

Provided that in the case of Mill Societies where the State Government's share capital is more than 50 per cent, it will not be mandatory for the registrar to get a resolution passed from the general body of the society to act as per the provisions in clauses (a) and (b);

(2) It shall be competent for the State Government to make rules and to give such directions as it may deem fit to the Registrar, for the purposes of this section.

*Explanation*–For the purposes of this section 'Company' means a company as defined in the Companies Act, 1956.

Repeal and Saving

3. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 21 of 2007

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the coresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Repeal and Saving

3. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 28 of 2007

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994) has been enacted to provide for the reservation in public services and posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens and for matters connected therewith or incidental thereto. It had been brought to the notice of the State Government that in certain recruitments eligible persons belonging to the scheduled Tribes, for appointment to the posts reserved there for are not available. Similar is the case in respect of the persons belonging to Scheduled Castes. In such cases it becomes difficult to fill the vacancies reserved for the persons belonging to the Scheduled Tribes or the Scheduled Castes. It was, therefore, decided to amend the said Act to provide that where a suitable candidate belonging to the Scheduled Tribes or Scheduled castes is not available in a recruitment the vacancy reserved for him may be filled in such recruitment from amongst the candidates belonging to the Scheduled castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, and as soon as a vacancy earmarked for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, arises such person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, shall be adjusted against such vacancy of his own category.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative- action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no 28 of 2007) was promulgated by the Governor on August 25, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.M.A. ABIDI,
*Pramukh Sachiv.*

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 765 राजपत्र–(हि०)–(1858)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 385 सा० विधा०–(1859)–2007–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।